



2026:AHC: 20220

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या- 1924/2024

हृदय नारायण व 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 80 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: आलोक कुमार द्विवेदी, जय शंकर मिश्रा, उदय भानु सिंह, विजय शंकर शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शशि शंकर त्रिपाठी, अनिल कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1- पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

संदर्भ में: सिविल प्रकीर्ण संशोधन आवेदन संख्या 2 वर्ष 2024

2- प्रार्थना के अनुसार, प्रस्तुत संशोधन आवेदन वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

रिट याचिका पर

3- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि असावधानीवश, वर्तमान रिट याचिका सीताराम के वारिसान और विधिक प्रतिनिधियों की ओर से दायर किया गया है, जबकि उनकी ओर से दायर एक अन्य रिट याचिका, 'रिट बी संख्या 1821 वर्ष 2024', इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 08.08.2024 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जा चुका है।

4- काफी विस्तार से विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने का प्रार्थना किया है।

5- प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- तदनुसार, प्रस्तुत रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

29 जनवरी, 2026

वी.के.जी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।